

फा.सं. 06/10/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

18 मार्च, 2026

जांच शुरुआत की अधिसूचना

मामला संख्या: -एडीडी(ओआई)-09/2026

विषय: मिस्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा.सं. 06/10/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है), ने मिस्र (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर के सब्सिडीकरण का आरोप लगाकर पाटनरोधी शुल्क जांच की शुरुआत के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर" है। संबद्ध सामानों को प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम स्टुको और स्टुको पाउडर के रूप में भी जाना जाता है। जिप्सम रॉक को रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट (सीएसओ4.2एच2ओ) कहा जाता है, जिसे नियंत्रित तरीके से गर्म करने पर स्टुको या जिप्सम प्लास्टर बनने के लिए उसकी क्रिस्टल संरचना से

1.5 पानी (एच2ओ) खो देता है जोकि रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट(सीएसओ4.05 एच2ओ) के रूप में जाना जाता है।

3. जिप्सम रॉक को जिप्सम प्लास्टर में बदलने के लिए गर्मी देने की प्रक्रिया को कैल्सीनेशन कहा जाता है जिससे कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर या प्लास्टर शब्द आता है। कैल्सीनेशन एक बैच या निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से जिप्सम को प्लास्टर या स्टुको में डिहाइड्रेट करने की परिपाटी है जिसमें क्रिस्टलीय पानी को वाष्पित करने के लिए जिप्सम को नियंत्रक तरीके से गर्म करना शामिल है। क्रिस्टलीय बाउंड पानी को 120-180 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियंत्रित हीटिंग प्रक्रिया में हटाया जाता है।

ख. समान वस्तु

4. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध सामानों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के बीच कोई जात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए नियमावली के तहत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की 'समान वस्तु' माने जा रहे हैं।

ग. संबद्ध देश

5. वर्तमान जांच मिस्र से विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटन के संबंध में है।

घ. जांच की अवधि

6. वर्तमान आवेदन-पत्र के लिए जांच की अवधि अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 (12 माह) प्रस्तावित है। क्षति विश्लेषण 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि के लिए किया जा सकता है।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

7. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

8. यह आवेदन-पत्र मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसजीआईपीएल) द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर का प्रमुख उत्पादक (55%) है। मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्रा. लि. ने यह भी अनुरोध किया कि वर्तमान मामले में संबद्ध सामानों के उत्पादक देश भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों से युक्त बिखने हुए उद्योग से हैं।

9. आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि उद्योग की प्रकृति और आकार के कारण प्रत्येक अलग अलग उत्पादक से उत्पादन से संबंधित आंकड़े एकत्र करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि भारत में उत्पाद के सकल घरेलू उत्पादन का कोई प्रकाशित रिकॉर्ड नहीं है और ऐसी सूचना किसी भी सरकारी या बाजार अनुसंधान एजेंसी द्वारा संकलित नहीं की गई है, तथापि, उनकी सूचना के अनुसार, वे भारत में संबद्ध सामानों के प्रमुख उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता या उसके किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं है। इसके अलावा, वे भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध नहीं हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने आवेदक को नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग माना है, और आवेदन-पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने दावा किया है कि मिस्र में तुलनीय घरेलू कीमतें ऐसी सूचना की गोपनीय प्रकृति के कारण उपलब्ध नहीं थीं; अतः, सामान्य मूल्य उपयुक्त रूप से उपलब्ध सूचना, अनुमानित विनिर्माण एवं परिवर्तन लागतों का बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों और उपयुक्त लाभ उचित रूप से जोड़कर उनका निर्माण करके वैकल्पिक आधार पर निर्धारित किया गया था।
11. तथापि, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन से सामान्य मूल्य पर विचार किया है जिसका निर्माण भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर उचित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय, और संबद्ध देश के लिए लाभ को जोड़कर किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

12. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, , सार-संभाल प्रभार, बंदरगाह खर्च, अंतर्देशीय प्रभार, कमीशन, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति का आरोप और कारणात्मक संपर्क

14. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। संबद्ध देश से संबद्ध आयात की मात्रा निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही रूप में बढ़ी है। आयात के कारण कीमत हास और न्यूनीकरण का साक्ष्य है। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
15. उपर्युक्त से, प्राधिकारी को प्रथम दृष्टया मिस्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के

बीच कारणात्मक संपर्क के बारे में पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य बनाते हैं।

ज. जांच की शुरुआत

16. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर और घरेलू उद्योग में पाटन और परिणामी क्षति सिद्ध करने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करके, एतद्वारा तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार घरेलू उद्योग में तथाकथित पाटन और परिणामी वास्तविक क्षति के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

झ. प्रक्रिया

17. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और तदनुसूची मामला आईडी एडी/ओई/010/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।
19. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर पूरी संगत

सूचना दायर कर सकें। यह सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित किए गए अनुसार स्वरूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।
21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
22. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- एडी/ओआई/010/2026 के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोधों के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
25. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 23 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
26. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते हैं, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
27. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।
29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।

30. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिहनों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः सूचीबद्ध या खाली (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं हो) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।
33. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।
34. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
35. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या

सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।


36. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 8 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
37. प्राधिकारी, संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

ढ. असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।



(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी